मौसम के समय आवश्यक प्रबंधों के अभाव में असमय वर्षा अथवा वर्षाकाल की वर्षा के कारण भारी मात्रा में गेहूं खराब हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष के दौरान अनुमानतः भीगे हुए गेहूं की मात्रा कितनी होगी ;

(ग) क्या सरकार भंडारों को बारिश से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायेगी ; और

(घ) क्या सरकार आगामी मौसम के लिए क्रय-प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार रखती है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) ऐसे कोई समाचार नहीं हैं ।

(ग) संबंधित एजेंसियों द्वारा मंडियों/क्रय केन्द्रों/भंडारण स्थलों पर स्टाक की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्था की जाती है ।

(घ) वर्तमान वसूली प्रणाली, जोकि अनिवार्यतया मूल्य समर्थन परिचालन है, को जारी रखा जाएगा ।

Non-payment of compensation for losses in weight in transhipment of coal

*286. SHRI RAM AWADHESH SINGH:

SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways are not compensating for the losses in weight in transhipment of coal; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFEER SHARIEF): (a) Yes Sir, except in cases where Railways' negligence is stablished.

(b) Coal is mostly booked at owners' risk rate where Railway's liability is normally not attracted.

दिल्ली विकास प्राधिकरण का तीन शाखाओं में विभाजन

*287. **श्री रणजीत सिंह :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने दो वर्ष पूर्व सलाह दी थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का तीन शाखाओं में विभाजन किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति द्वारा किए गये प्रस्ताव का सरकार द्वारा अध्ययन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं,

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली का योजनाबद्ध तरीके से विकास कर पाने में असफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इसके कार्यवरण में सुधार लाने के लिए दिये गए सुझावों को कब तक कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

सरकार ने निम्नलिखित आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का निर्णय 1987 में लिया था :

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसके चार्टर में दिये गये अनुसार मुख्य